BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY
LUCKNOW
प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.)

यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निशेध और निवारण) विनिमय

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ–२२६०२५

यौन उत्पीड़न के विरूद्ध 'पूर्ण असहनशीलता' की नीति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है: दण्ड एवं हरजाना

1. अपराधकर्ता यदि उच्चतर शैक्षिक संस्थान का कर्मचारी है तथा लैंगिक उत्पीड़न का दोषी पाया जाता है तो उसे संस्थान के सेवा नियमों के अनुसार दण्डित किया जाएगा;

(क) अनुशासनात्क कार्यवाई जिसमें लिखित माफी, चेतावली, फटकार, निंदा, पदोन्नति/वेतन वृद्धि रोकना शामिल है।

(ख) रोजगार से निष्कासन

(ग) परामर्श लें

(घ) सामुदायिक सेवा

(2) अपराध की गंभीरता को देखते हुए– यदि प्रतिवादी कोई छात्र है, तो उच्चतर शैक्षिक संस्थानः–

(अ) ऐसे छात्र के विशेषाधिकारों को रोक सकता है तो, जैसे–पुस्तकालय, सभागार, आवासीय आगारों, यातायात, छात्रवृति, भत्तो एवं पहचान पत्र आदि तक पहुँच बनाना;

(ब) एक विशेष समय तक परिसर में उसका प्रवेश स्थगित अथवा बाधित करना;

(स) यदि उस अपराध की ऐसी गंभीरता है तो उस छात्र को संस्थान से निष्कासित किया जा सकता है तथा उसका नाम उस संस्थान की नामावलि से हटाया जा सकता है, इसके साथ ही पुनः प्रवेश की अनुमति उसे नहीं होगी;

(द) अधिदेशात्मक परामर्श अथवा सामुदायिक सेवाओं जैसे सुधारवादी दण्ड प्रदान करना;

(3) पीड़ित व्यक्ति मुआवजे का अधिकारी है। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा अनुशंसित तथा कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मुआवजे के भुगतान के लिए उच्चतर शैक्षिक संस्थान निर्देश जारी करेगा, जिसकी वसूली अपराधकर्ता से की जाएगी। देय मुआवजे का निर्धारण निम्न आधार पर होगाः–

(क) पीड़ित व्यक्ति को जितना मानसिक तनाव, कष्ट, व्यथा एवं दुख पहुँचा है;

(ख) उस लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण उन्हें अपनी जीविका के सुअवसर की हानि उठानी पड़ी;

(ग) पीड़ित व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक एवं मनो रोग संबंधी आधार के लिए खर्च किए गए चिकित्सा व्यय;

(घ) कथित अपराधकर्ता एवं उस पीड़ित व्यक्ति की आय एवं जीवन स्तर, और

(ड़) ऐसे समस्त भुगतान का एकमुश्त रूप से या किस्तों में किए जाने का औचित्य;

पीड़ित अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं: ईमेल: icc.bbaulko@gmail.com

किसी भी सहायता हेतू संपर्क करें:

अध्यक्षा, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी), बीबीएयू

बीबीएयू: हेल्प लाइन नंबर: 9450710387; 9451144539

महिला हेल्पलाइन नंबर: **181**

आपातकालीन प्रतिक्रिया समर्थन प्रणाली संख्या: **112**

शिकायत कैसे लिखें:

पते के साथ आपका नाम:

घटना का विस्तृत ब्यौरा:

साक्ष्य/गवाह यदि कोई हो:

प्रतिवादी का विवरण:

https://forms.gle/yMwD5FWStKrSq7696)

लिंग आधारित भेदभाव को "न" कहें